रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-15/2017/1737/22-2-2016-17(361)/2016

लखनऊ: दिनांक: 03 जनवरी, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी रामसेवक (बन्दी संख्या-38021) पुत्र श्री सातुकी प्रसाद, निवासी-रघुनाथपुर, थाना-जलालाबाद, जिला-शाहजहांपुर** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-407/1978** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302, 148** के अधीन **दिनांक 14-02-1979** को मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, शाहजहांपुर द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था, उक्त दण्ड के विरूद्ध बन्दी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में योजित अपील में पारित आदेश दिनांक 07.05.1991 द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया जिसके विरूद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा योजित अपील में पारित आदेश दिनांक 18.12.2002 द्वारा मा0 सत्र न्यायालय दी गयी सजा को बहाल रखा गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-15/2017/1737(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर ।
3- पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर ।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in